

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Accounts Department)

8th October 2021

OFFICE ORDER

Subject: Use of vehicles during official visits by BIS officers posted at BIS Labs

This is with reference to the earlier BIS/DGO(457)/2020 dated 10.01.2020 regarding use of vehicles during official visits by BIS officers at ROs/BOs. It has now been decided by the Competent Authority that each BIS Lab may also engage one vehicle(Maruti Desire or equivalent) for attending to the regular office works on month-wise hiring charge basis following due procedure laid down in this regard so that this vehicle can be used by heads and other officials posted at Lab for smooth discharge of their official work. The vehicle if available, can also be used by other officers for the audit of OSLs locally.

This issues with the approval of DG:BIS.



(N. Ravi Shankar)
Director(Accounts)

Ref: Accts/3:16

Circulated to :

- **ADG, CVO**
- **All DDGs, HoDs at HQs/Labs/NITS/ROs/BOs**
- **PS to DG for DG'S information**
- **H(ITS) – with a request to upload this order on BIS website.**

भारतीय मानक ब्यूरो
(लेखा विभाग)

दिनांक : 08 अक्टूबर 2021

कार्यालय आदेश

विषय: बीआईएस प्रयोगशालाओं में तैनात बीआईएस अधिकारियों द्वारा आधिकारिक दौरे के दौरान वाहनों का उपयोग करना

यह क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय में बीआईएस अधिकारियों द्वारा आधिकारिक दौरे के दौरान वाहनों के उपयोग के संबंध में पहले के बीआईएस/डीजीओ (457)/2020 दिनांक 10.01.2020 के संदर्भ में है। अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नियमित कार्यालयी कार्य करने के लिए माह-वार हायरिंग चार्ज के आधार पर प्रत्येक बीआईएस प्रयोगशाला भी एक वाहन (मारुति डिजायर या समकक्ष) को लगा सकती है। ऐसा इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए होना चाहिए ताकि इस वाहन का उपयोग प्रयोगशाला में तैनात प्रमुखों और अन्य कर्मिकों द्वारा अपने कार्यालयी कार्य के सुचारु निर्वहन के लिए किया जा सके। यह वाहन उपलब्ध होने पर इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर ओएसएल का ऑडिट करने वाले अन्य अधिकारी कर सकते हैं।

यह महानिदेशक बीआईएस के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Sd/-

(एन. रविशंकर)

निदेशक (लेखा)

संदर्भ लेखा/3:16

परिचालित-

-एडीजी, सीवीओ

-सभी उप महानिदेशक, मुख्यालय/प्रयोगशाला/एनआईटीएस/क्षे.का/शा.का के विभागाध्यक्ष

-महानिदेशक की सूचना के लिए महानिदेशक के निजी सचिव

-प्रमुख (आईटीएस) - इस आदेश को बीआईएस वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।